भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1049

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट आवेदन शुल्क

1049. **डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के संशोधन के क्या कारण हैं;

ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पासपोर्ट आवेदन शुल्क से वर्ष-वार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है और पासपोर्ट और कौंसुलरी सेवाओं को मजबूत करने के संबंध में इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों, जारी किए गए और खारिज किए गए पासपोर्टों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को अधिक किफायती, तीव्र और सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाओं का शुल्क, जो पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV के तहत निर्धारित है, दिनांक 25.06.2026 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 516(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। संशोधित शुल्क वाली राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध-I में दिया गया है।

पासपोर्ट शुल्कों में संशोधन, समय-समय पर पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं को प्रदान करने की लागत, परिचालन आवश्यकताओं और सेवा वितरण सुधारों की व्यापक समीक्षा के बाद किया जाता है। पूर्व में, पासपोर्ट शुल्क को 1971, 1980, 1993, 2002, 2012 और अब 2026 में संशोधित किया गया है। पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें अपग्रेडेड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (पीएसपी) संस्करण 2.0 और ई-पासपोर्ट्स का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे पासपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई है, जबकि सेवा वितरण की लागत बढ़ गई है। इन व्ययों के साथ-साथ विगत 14 वर्षों में सभी पासपोर्ट जारी करने और पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के घटकों की लागत में मुद्रास्फीति को देखते हुए, पासपोर्ट शुल्क में यह वृद्धि अपरिहार्य थी।

(ख) पासपोर्ट आवेदन शुल्क से विगत पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26 तक) में कुल राजस्व 16,767.55 करोड़ रुपये रहा है।

(ग) उपलब्ध दस्तावजों/रिकॉर्ड के अनुसार, विगत पांच वर्षों (2021 से 2025 तक) में प्राप्त आवेदन, जारी पासपोर्ट और अस्वीकृत आवेदन क्रमशः 6,81,81,433; 6,50,70,353 और 8,794 रहे हैं।

(घ) सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को किफायती, तेज और अधिक उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पी एस के) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पी ओ पी एस के) के माध्यम से पासपोर्ट सेवा नेटवर्क का विस्तार, एंड-टू-एंड ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट सिस्टम, और 'एनीवेयर पासपोर्ट' सुविधा। ये पहल विशेषकर छात्रों के लिए भी मददगार हैं, क्योंकि वे अपने अध्ययन स्थल या पैतृक स्थान से पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों और दूरदराज के इलाकों में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैनें भी भेजी जाती हैं, जिससे वे अपने निकटवर्ती स्थान पर आवेदन जमा कर सकें। वरिष्ठ नागरिकों को पीएसके पर प्राथमिकता टोकन और पासपोर्ट आवेदन जमा करने में अतिरिक्त सुविधा दी जाती है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के लिए 10% छूट भी दी जाती है। विशेष रूप से पहली बार आवेदन करने वालों के लिए, अपग्रेड की गई पीएसपी संस्करण 2.0 में एआई-सक्षम नागरिक सहायता, डीजी लाकर, इंटीग्रेशन, स्वतः दस्तावेज़ सत्यापन और बहुभाषी नेशनल कॉल सेंटर सपोर्ट जैसी सुविधाएँ भी हैं, जिससे पासपोर्ट सेवाएँ और भी सुविधाजनक हो जाती हैं।

<u>अनुबंध- I</u>

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2026

सा.का.नि. संख्या 516(अ) – पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 की15) की धारा 24 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:–

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

+2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:–

अनुसूची IV

(नियम 8 देखें)

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ आवेदनों के संबंध में

देय शुल्क की अनुसूची

क्रम संख्या	**आवेदन का विवरण**	**शुल्क का प्रकार**	
		सामान्य शुल्क	तत्काल शुल्क

				(सामान्य शुल्क के साथ)	
		भारत	विदेश	भारत	विदेश
		Rs.	$	Rs.	$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. पासपोर्ट- **(क) आवेदक (18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के आवेदक / 15 से 18 साल की उम्र के नाबालिग, अगर इस श्रेणी के तहत आवेदन किया गया हो)**					
1.	साधारण नए पासपोर्ट या 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	2500	125	5000	250
2.	साधारण नए पासपोर्ट या 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	3500	175	6000	300
3.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	5000	250	7500	375
4.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट	6000	300	8500	425

	के लिए, जिसमें 60 पृष्ठ होते हैं।				
(ख) नाबालिग आवेदक (18 वर्ष से कम आयु के) :					
5.	साधारण नए पासपोर्ट या 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के पुन: जारी होने के लिए	1750	90	4250	215
6.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं।	4250	215	6750	340
II. विशेष यात्रा दस्तावेज----					
7.	आपातकालीन प्रमाणपत्र	NA	15	NA	NA
8.	पहचान प्रमाणपत्र	1000	50	NA	NA
III. विविध सेवाएँ--					
9.	पासपोर्ट के आधार पर पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र, सरेंडर प्रमाणपत्र, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन या अन्य विविध प्रमाणपत्र जारी करना।	750	40	NA	NA

टिप्पणी:

1. "एनए" का अर्थ है "लागू नहीं"।

2. क्रमांक 1(क) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और क्रमांक 1(ख) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष या आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

3. 8 वर्ष तक की आयु के नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) के लिए नए आवेदनों (पुनः जारी करने के लिए नहीं) पर पासपोर्ट शुल्क में दस प्रतिशत की छूट होगी।

[सं. 401/01/20/2025]

(बी.एस. मुबारक)

संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट.– पासपोर्ट नियम, 1980 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 691(ई), दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 156 (ई), दिनांक 24 फरवरी, 2025 के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।
